



न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA LIMITED
(भारत सरकार का उद्यम A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE)

सतर्कता सं. सतर्कता-पीओएल/001, संशोधन-5
DOCUMENT NO. VIG-POL-001, REV-5

सतर्कता शिकायत निवारण नीति
VIGILANCE COMPLAINT HANDLING POLICY

संशोधन सं. REVISION NO:	0	1	2	3	4	5
जारी करने की तारीख DATE OF ISSUE	अप्रैल, 2015 April 2015	जुलाई, 2015 July 2015	जुलाई, 2016 July 2016	जुलाई, 2017 July 2017	अगस्त, 2023 August, 2023	दिसंबर, 2024 December 2024
पृष्ठों की कुल संख्या (मुखपृष्ठ सहित) TOTAL NO. OF PAGES (INCLUDING COVER SHEET)	3	7	7	7	21	11

तैयारकर्ता PREPARED BY: चेतन ए. विरकर, वरिष्ठ प्रबंधक (सतर्कता) CHETAN A VIRKAR, SM (VIG) (Sd/-)

समीक्षाकर्ता REVIEWED BY: बी.परमेश्वरराव, अपर महाप्रबंधक (सतर्कता) B PARAMESWARARAO, AGM (VIG) (Sd/-)

सहमति प्रदानकर्ता CONCURRED BY: संजय अरोड़ा, महाप्रबंधक (सतर्कता) SANJAY ARORA, GM (VIG) (Sd/-)

अनुमोदनकर्ता APPROVED BY: अजितकुमार सोनटक्के, मुख्य सतर्कता अधिकारी, AJITKUMAR SONTAKKE, CVO (Sd/-)

(संशोधन हेतु संशोधन नियंत्रण शीट देखें FOR REVISION SEE REVISION CONTROL SHEET)

संशोधन नियंत्रण शीट REVISION CONTROL SHEET

प्रलेख प्रकार DOCUMENT TYPE : सतर्कता दिशानिर्देश VIGILANCE GUIDELINES

प्रलेख संख्या DOCUMENT NO: सतर्कता-पीओएल/001, संशोधन-5, VIG-POL-001, REV-5

शीर्षक TITLE: सतर्कता शिकायत निवारण नीति VIGILANCE COMPLAINT HANDLING POLICY

संशोधन सं. व तारीख REV. NO. & DATE	संशोधन का विवरण DESCRIPTION OF REVISION	संशोधनकर्ता नाम व हस्ताक्षर REVISED BY NAME & SIGNATURE	समीक्षकर्ता नाम व हस्ताक्षर REVIEWED BY NAME & SIGNATURE	सहमति प्रदान कर्ता नाम व हस्ताक्षर CONCURRED BY NAME & SIGNATURE	अनुमोदनकर्ता नाम व हस्ताक्षर APPROVED BY NAME & SIGNATURE
संशोधन-5 दिसंबर, 2024 Rev. 5 December 2024	पूर्ण नीति संशोधित Complete policy revised	Sd/- चेतन ए. विरकर, वरिष्ठ प्रबंधक (सतर्कता) CHETAN A VIRKAR SM(VIG)	Sd/- बी.परमेश्वरराव, अपर महाप्रबंधक (सतर्कता) B PARAMESWAR- RAO AGM (VIG)	Sd/- संजय अरोड़ा, महाप्रबंधक (सतर्कता) SANJAY ARORA GM (VIG)	Sd/- अजितकुमार सोनटक्के, मुख्य सतर्कता अधिकारी AJITKUMAR SONTAKKE CVO

The Vigilance Complaint Handling Policy, Rev-5 is effective from 01/01/2025



न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA LIMITED

सतर्कता शिकायत निवारण नीति
VIGILANCE COMPLAINT HANDLING POLICY

पृष्ठ सं. PAGE NO : पृष्ठ Page 1 of 9
संशोधन संख्या REV. NO : 5



न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
Nuclear Power Corporation of India Limited

न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA LIMITED
(भारत सरकार का उद्यम A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE)

प्रलेख सं. सतर्कता-पीओएल/001, संशोधन-5
DOCUMENT NO. VIG-POL-001, REV-5

सतर्कता शिकायत निवारण नीति
VIGILANCE COMPLAINT HANDLING POLICY

The Vigilance Complaint Handling Policy, Rev-5 is effective from 01/01/2025



न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA LIMITED

सतर्कता शिकायत निवारण नीति
VIGILANCE COMPLAINT HANDLING POLICY

पृष्ठ सं. PAGE NO : पृष्ठ Page 2 of 9
संशोधन संख्या REV. NO : 5

एनपीसीआईएल सांपत्तिक खण्ड
NPCIL PROPRIETARY

यह दस्तावेज, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) की संपत्ति है। एनपीसीआईएल के साथ किसी करार के बगैर, इसमें शामिल किसी भी जानकारी का समुपयोजन या अंतरण अनुमन्य नहीं है और न ही इस दस्तावेज या इसकी कोई सूचना एनपीसीआईएल की लिखित अनुमति के बगैर जारी की जा सकती है।

This document is the property of Nuclear Power Corporation of India Limited (NPCIL). No exploitation or transfer of any information contained herein is permitted in the absence of an agreement with NPCIL, and neither the document nor any such information any be released without written consent of NPCIL.

अस्वीकरण Disclaimer:

इस दस्तावेज के अंग्रेजी संस्करण और हिंदी संस्करण के बीच विरोधाभास के मामले में, व्याख्या के लिए अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

In case of contradiction between English version and Hindi version of this document, English version shall prevail for interpretation.



न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA LIMITED

सतर्कता शिकायत निवारण नीति
VIGILANCE COMPLAINT HANDLING POLICY

पृष्ठ सं. PAGE NO : पृष्ठ Page 3 of 9
संशोधन संख्या REV. NO : 5

न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सतर्कता निदेशालय का नेतृत्व मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) करते हैं और वे सतर्कता संबंधी समस्त मामलों के लिए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी), एनपीसीआईएल के सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं। मुख्य सतर्कता अधिकारी एक ओर एनपीसीआईएल एवं केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के बीच तो दूसरी ओर एनपीसीआईएल एवं केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के बीच में कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कार्य व्यापक पैमाने के होते हैं और इसमें एनपीसीआईएल के कर्मचारियों द्वारा की गई, या किए जाने के लिए संभावित भ्रष्ट प्रक्रियाओं के संबंध में जानकारी एकत्र करना; उनके समक्ष रिपोर्ट किए गए आरोपों को सत्यापन योग्य बनाने के लिए अन्वेषण करना अथवा करवाना; संबंधित अनुशासनिक प्राधिकारी के आगामी विचारार्थ अन्वेषण रिपोर्टों पर कार्रवाई करना; जहाँ कहीं आवश्यक हो, सलाह के लिए मामले को सीवीसी के समक्ष रखना; एनपीसीआईएल में अनुचित प्रक्रियाओं या कदाचारों के कृत, यदि कोई हो, की रोकथाम हेतु कदम उठाना, शामिल है।

The Chief Vigilance Officer (CVO) heads the Vigilance Directorate of Nuclear Power Corporation of India Ltd. (NPCIL) and acts as an advisor to the Chairman and Managing Director (CMD), NPCIL in all matters pertaining to vigilance. CVO also provides a link between NPCIL and the Central Vigilance Commission (CVC) on one hand and NPCIL and the Central Bureau of Investigation (CBI) on the other. Vigilance functions to be performed by the CVO are of wide sweep and include collecting intelligence about the corrupt practices committed, or likely to be committed by the employees of NPCIL; investigating or causing an investigation to be made into verifiable allegations reported to him; processing investigation reports for further consideration of the disciplinary authority concerned; referring the matters to the CVC for advice wherever necessary; taking steps to prevent improper practices or commission of misconducts, if any, in NPCIL.

I. एनपीसीआईएल का क्षेत्राधिकार Jurisdiction of NPCIL:

सतर्कता निदेशालय, एनपीसीआईएल कर्मचारियों के विरुद्ध की गई शिकायतों तथा/या एनपीसीआईएल में भ्रष्टाचार संबंधी मामलों का ही निपटान करता है। सतर्कता निदेशालय के कार्यक्षेत्र में किसी निजी व्यक्ति एवं अन्य सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के कार्मिक/संगठन शामिल नहीं हैं।

Vigilance Directorate deals only with the complaints lodged against NPCIL employees and/or matters related to corruption in NPCIL. Vigilance Directorate has no jurisdiction over private individuals and other Government/PSU officials/Organizations.



न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA LIMITED

सतर्कता शिकायत निवारण नीति
VIGILANCE COMPLAINT HANDLING POLICY

पृष्ठ सं. PAGE NO : पृष्ठ Page 4 of 9
संशोधन संख्या REV. NO : 5

II. शिकायत दर्ज करना Lodging of Complaints:

शिकायत सीधे मुख्य सतर्कता अधिकारी, एनपीसीआईएल को संबोधित लिखित सूचना/पत्र के माध्यम से अथवा एनपीसीआईएल की वेबसाइट <http://www.npcil.nic.in> पर 'सतर्कता' पृष्ठ के अंतर्गत दर्ज की जा सकती है। लिखित सूचना/पत्र के लिए पता निम्नवत है :

Complaints can be lodged by addressing the written communication/letter directly to the CVO, NPCIL or on NPCIL website <http://www.npcil.nic.in> under "Vigilance" page. The address for written communication/ letter is as follows:

मुख्य सतर्कता अधिकारी The Chief Vigilance Officer,
तिसरा तल, नाभिकीय ऊर्जा भवन, 3rd Floor, Nabhikiya Urja Bhavan,
अणुशक्तिनगर Anushaktinagar,
मुंबई Mumbai-400094

लिखित सूचना/पत्र के माध्यम से संप्रेषित शिकायतों में अनिवार्य रूप से प्रेषक का पूर्ण पता और मामले का विशिष्ट विवरण/सूचना होनी चाहिए। शिकायत को इसकी सटीकता की पुष्टि/सत्यापन के लिए शिकायतकर्ता के पास डाक के माध्यम से भेजा जाएगा। इसलिए प्रेषक का पूर्ण डाक पता अनिवार्य है। शिकायतकर्ता अपना ई-मेल आईडी/मोबाइल नंबर, यदि कोई हो, का भी उल्लेख कर सकता है।

Complaints sent through written communication/letter should **mandatorily contain complete postal address of the sender with specific details/information of the matter**. Complaints will be referred to the Complainant for confirmation / verification of genuineness through post. This is the reason why the complete postal address of the sender is mandatory. The Complainant may also mention Email address/mobile number, if any.

महत्वपूर्ण नोट Important Note-

एनपीसीआईएल के किसी अधिकारी के ई-मेल आईडी पर प्रेषित शिकायतों पर सतर्कता निदेशालय द्वारा विचार या ध्यान नहीं दिया जाएगा और इसे बस फाइल कर दिया जाएगा।

Complaints sent on any e-mail ID of officers of NPCIL will not be entertained or taken cognizance of by the Vigilance Directorate and shall be simply filed.



न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA LIMITED

सतर्कता शिकायत निवारण नीति
VIGILANCE COMPLAINT HANDLING POLICY

पृष्ठ सं. PAGE NO : पृष्ठ Page 5 of 9
संशोधन संख्या REV. NO : 5

शिकायतकर्ता को सलाह दी जाती है कि वह सीवीसी के सतर्कता मैनुअल (2021 में अद्यतन) के पैरा 1.4 में उपलब्ध 'सतर्कता पहलु की परिभाषा' अथवा समय-समय पर ऐसी अद्यतन मैनुअल में दिए गए प्रावधान का वेबसाइट लिंक <http://cvc.gov.in/> पर संदर्भ ले ले। इससे शिकायतकर्ता को सतर्कता पहलु वाले मामलों के संबंध में सटीक रूप से शिकायत दर्ज करने में मदद मिलेगी।

Complainant is advised to refer "Definition of Vigilance Angle" as provided at Para 1.4 of CVC's Vigilance Manual (Updated 2021) or provisions given in any such updated manual from time to time on the website link <http://cvc.gov.in/>. This shall help the Complainant to file the complaint precisely relating to the matters having vigilance angle.

मुख्य सतर्कता अधिकारी, एनपीसीआईएल, एनपीसीआईएल के लिए लोकहित प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण संकल्प (पीआईडीपीआईआर) के अंतर्गत शिकायत प्राप्त करने के लिए पदनामित अधिकारी नहीं हैं। ऐसी शिकायतों को सीवीसी अथवा संबंधित पदनामित प्राधिकारियों के समक्ष सीधे दर्ज किया जा सकता है। एनपीसीआईएल के लिए पीआईडीपीआईआर के अंतर्गत दर्ज की जाने वाली शिकायतों को प्राप्त करने हेतु मुख्य सतर्कता अधिकारी, परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) पदनामित प्राधिकारी हैं।

CVO, NPCIL is not the Designated Authority to receive the complaint under **Public Interest Disclosure and Protection of Informer Resolution (PIDPIR)** for NPCIL. Such complaints can either be lodged directly with CVC or with the concerned Designated Authorities. The CVO, Department of Atomic Energy (DAE) is the Designated Authority to receive the written complaints filed under PIDPI for NPCIL.

III. एनपीसीआईएल में दर्ज शिकायतों पर कार्रवाई Action Taken on Complaints in the NPCIL:

- केवल उन्हीं शिकायतों पर सीवीओ द्वारा संगठनात्मक पद्धति के माध्यम से अन्वेषण किया जाएगा जो एनपीसीआईएल के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत कार्मिकों के विरुद्ध हैं और जिसमें भ्रष्टाचार के आरोप शामिल हैं।
Only those complaints which are against officials within the jurisdiction of the NPCIL and contain allegations of corruption will be subjected to investigation by the CVO through the organizational set-up.
- मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) एनपीसीआईएल के सतर्कता निदेशालय का नेतृत्व करते हैं और वे सतर्कता संबंधी समस्त मामलों के लिए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी), एनपीसीआईएल के सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं। वे सीवीसी और सीबीआई के साथ पारस्परिक विचार-विमर्श के लिए नोडल



न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA LIMITED

सतर्कता शिकायत निवारण नीति
VIGILANCE COMPLAINT HANDLING POLICY

पृष्ठ सं. PAGE NO : पृष्ठ Page 6 of 9
संशोधन संख्या REV. NO : 5

अधिकारी भी हैं। वित्तीय अनियमितताओं एवं धोखाधड़ियों सहित आपराधिक कदाचार का अन्वेषण अनिवार्यतः सीबीआई को सौंपा जाएगा।

CVO heads the Vigilance Directorate of NPCIL and acts as an advisor to the CMD in all matters pertaining to vigilance. He is also the nodal officer of NPCIL for interaction with CVC and CBI. Investigations into criminal misconduct including financial irregularities and frauds shall be invariably entrusted to the CBI.

3. अन्वेषण सामान्यतः तीन माह में पूर्ण हो जाएगा। अन्वेषण रिपोर्ट के आधार पर संबंधित अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा अनुवर्ती अनुशासनिक कार्रवाई में, यदि कोई हो, सामान्यतः छः माह का समय लगता है। दंड के आरोपण में सामान्यतः अतिरिक्त तीन से छः माह का समय लगता है।

The investigation shall normally be completed within three months. Based on the investigation report, subsequent disciplinary action, if any, by the concerned Disciplinary Authority normally takes around six months. Imposition of penalty takes a further period of three to six months generally.

4. एनपीसीआईएल की वेबसाइट पर प्राप्त शिकायतों की पावती ऑनलाइन दी जाएगी और शिकायत के सफलतापूर्वक पंजीकरण के तुरंत पश्चात शिकायतकर्ता के ई-मेल आईडी पर एक विशिष्ट शिकायत आईडी एवं पासवर्ड प्रेषित किया जाएगा। ऑफलाइन शिकायतों के मामले में, शिकायत के सतर्कता निदेशालय, एनपीसीआईएल में प्राप्त होने के तुरंत पश्चात आवश्यक विवरण एनपीसीआईएल की वेबसाइट <http://www.npcil.nic.in> पर 'सतर्कता पृष्ठ' अर्थात 'सतर्कता शिकायत प्रबंधन प्रणाली (एसएमवीसी)' के अंतर्गत अद्यतन किया जाएगा। प्रणाली जनित शिकायत आईडी एवं पासवर्ड शिकायतकर्ता को ई-मेल (यदि उपलब्ध कराया गया हो) के माध्यम से तथा डाक द्वारा सत्यापन के समय प्रेषित किया जाएगा। इससे शिकायतकर्ता को एनपीसीआईएल की वेबसाइट पर अपनी शिकायत की स्थिति ऑफलाइन देखने में सुविधा होगी।

The complaints received on NPCIL web site will be acknowledged online and an unique Complaint ID and Password shall be sent to the complainant's e-mail ID immediately after successful registration of the complaint. With regards to off-line complaints, the necessary details shall be updated in NPCIL website <http://www.npcil.nic.in> under "Vigilance" page i.e. "System for Management of Vigilance complaints (SMVC)" as soon as the complaint is received in the Vigilance Directorate, NPCIL. System generated complaint ID and password will be sent to the Complainant by e-mail (if provided) and at the time of verification by post. This will facilitate the Complainant to check the status of complaint off-line by accessing NPCIL web site.



न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA LIMITED

सतर्कता शिकायत निवारण नीति
VIGILANCE COMPLAINT HANDLING POLICY

पृष्ठ सं. PAGE NO : पृष्ठ Page 7 of 9
संशोधन संख्या REV. NO : 5

5. शिकायतकर्ता, पंजीकरण के पश्चात प्रदत्त पासवर्ड का प्रयोग कर शिकायत की स्थिति की जाँच कर सकता है। नवीनतम स्थिति को मामले की प्रगति के साथ जब-जब अद्यतन किया जाएगा तब उसे वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा।

The Complainant can check the status of the complaint using password provided after registration. The latest status is made available on the website as and when status is updated as the case progresses.

6. एक बार शिकायत दर्ज हो गई तो मामले में आगामी पत्राचार, विशिष्टतः शिकायत पर की गई कार्रवाई के बारे में पूछताछ पर विचार नहीं किया जाएगा। तथापि, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि शिकायतों का अन्वेषण किया जाए और कार्रवाई को उसके तार्किक निष्कर्ष तक पहुँचाया जाए।

Once a complaint is registered, further correspondence in the matter specifically asking action taken on complaint will not be entertained. However, it would be ensured that the complaints are investigated and action taken to its logical conclusion.

7. निविदाओं के विरुद्ध शिकायतों के संबंध में, यह स्पष्ट किया जाता है कि शिकायत को अन्वेषण प्रक्रिया में डाला जाएगा, तथापि, यह अन्वेषण निविदाकरण प्रक्रिया में बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। संगठन में कार्य को रोकने का आशय नहीं है।

As regards to complaints against tenders, it is clarified that while the complaint would be put to investigation, however, the investigation would not interfere at all in the tendering process as such. The intention is not to stop the work in the organization.

8. चूंकि सतर्कता निदेशालय केवल भ्रष्टाचार के मामलों का निपटान करता है, अतः सीवीओ, एनपीसीआईएल को की जाने वाली शिकायतों का केंद्र, शिकायतों का निवारण नहीं होना चाहिए।

As the Vigilance Directorate deals only with matters of corruption, redressal of grievances should not be the focus of complaints to the CVO, NPCIL.

9. शिकायतों में तथ्यात्मक विवरण, सत्यापनयोग्य तथ्य तथा संबंधित मामले होने चाहिए। वे अस्पष्ट नहीं होने चाहिए और व्यापक सामान्य आरोपों से भरे नहीं होने चाहिए।

Complaints must contain factual details, verifiable facts and related matters. They should not be vague or contain sweeping general allegations.

10. शिकायत सीधे मुख्य सतर्कता अधिकारी, एनपीसीआईएल को संबोधित होनी चाहिए। प्रतिलिपि के रूप में सीवीओ, एनपीसीआईएल को संबोधित शिकायतों पर विचार नहीं किया जाएगा।

Complaint should be addressed directly to the CVO, NPCIL. Complaints marked as a copy to the CVO, NPCIL will not be entertained.



न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA LIMITED

सतर्कता शिकायत निवारण नीति
VIGILANCE COMPLAINT HANDLING POLICY

पृष्ठ सं. PAGE NO : पृष्ठ Page 8 of 9
संशोधन संख्या REV. NO : 5

11. अनाम/छद्मनाम से की जाने वाली शिकायतों पर विचार नहीं किया जाएगा और इन्हें सीधे फाइल कर दिया जाएगा।

The anonymous/pseudonymous complaints shall not be entertained and simply filed.

A. 'अनाम शिकायत' की परिभाषा Definition of "Anonymous Complaint":

ऐसी कोई भी शिकायत जिस पर शिकायतकर्ता का नाम व पता दर्ज नहीं है वो अनाम शिकायत है। अनाम शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी भले ही आरोपों का प्रकार कैसा भी हो, और ऐसी शिकायतों को सरासर फाइल कर दिया जाएगा।

Any complaint that does not bear the name and address of the complainant is an anonymous complaint. No action will be taken on anonymous complaints irrespective of the nature of allegations, and such complaints will be summarily filed.

B. 'छद्मनाम से शिकायत' की परिभाषा Definition of "Pseudonymous Complaint":

ऐसी शिकायत जिसमें शिकायतकर्ता का पूर्ण विवरण उपलब्ध नहीं है अथवा जिस पर हस्ताक्षर नहीं है अथवा जिसके बारे में शिकायतकर्ता द्वारा बाद में यह पुष्टि न की जाए कि यह शिकायत उसने ही की है, तो उसे छद्मनाम से प्रेषित शिकायत माना जाएगा। छद्मनाम से भेजी गई शिकायत को इसकी पुष्टि/सटीकता के सत्यापन के लिए शिकायतकर्ता के पास भेजा जाएगा और यदि शिकायत भेजने के 15 दिनों के अंदर शिकायतकर्ता से कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं होता है तो एक अनुस्मारक भेजा जाएगा। अनुस्मारक भेजने के 15 दिवस तक प्रतीक्षा करने के पश्चात भी यदि कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं होता है तो इसे छद्मनाम से प्रेषित शिकायत के रूप में फाइल कर दिया जाएगा।

A complaint that does not bear the full particulars of the Complainant or is unsigned or is not subsequently acknowledged by the Complainant as having been made is a pseudonymous complaint. Pseudonymous complaints will be referred to the Complainant for confirmation / genuineness verification and if no response is received from the complainant within 15 days of sending the complaint, a reminder will be sent. After waiting for 15 days of sending the reminder, if still no response is received, the said complaint will be filed as pseudonymous.

12. मुख्य सतर्कता अधिकारी, एनपीसीआईएल शिकायत प्राप्त होने की तारीख से एक माह की अवधि के अंदर उस पर की जाने वाली कार्रवाई का निर्धारण करेंगे। तथापि, ऐसी किसी शिकायत पर सीवीओ,



न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA LIMITED

सतर्कता शिकायत निवारण नीति
VIGILANCE COMPLAINT HANDLING POLICY

पृष्ठ सं. PAGE NO : पृष्ठ Page 9 of 9
संशोधन संख्या REV. NO : 5

एनपीसीआईएल द्वारा अगर कोई जाँच/अन्वेषण आरंभ किया जाता है तो अन्वेषण की पूर्णता और रिपोर्ट की प्रस्तुति के लिए तीन माह की समय-सीमा लागू होगी।

CVO, NPCIL shall decide action on complaints received within a period of one month from the date of receipt of complaint. However, if any such complaint is taken up for inquiry/investigation by the CVO/NPCIL, the time limit of three months for completion of investigation and submission of report would apply.

लोकहित प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण संकल्प (पीआईडीपीआईआर) के अंतर्गत प्राप्त शिकायतें
Complaints under Public Interest Disclosure and Protection of Informer's Resolution (PIDPIR):

पीआईडीपीआईआर के अंतर्गत की गई शिकायतों पर अधिक जानकारी के लिए शिकायतकर्ता सीवीसी की वेबसाइट <https://cvc.gov.in/> देख सकते हैं।

A Complainant may visit the CVC's website <https://cvc.gov.in/> for further information on complaints under PIDPIR.
